

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 5681 / एफ-2-24 / 31 / एस-2 / 2018,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 12 / 12 / 2019

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- धमतरी जिले के विकासखंड-नगरी की सोंदूर जलाशय परियोजना के सिहावा वितरक शाखा के आर.डी. 8600 मी. तथा 16500 मी. में पक्की संरचनाओं का निर्माण तथा 0 कि.मी. से 23.35 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त लाईनिंग का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


संदर्भ :- 1. प्र.अ. का पत्र क्रमांक-347 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2018 / 13094, रायपुर, दि. 01.08.2018.
2. प्र.अ. का पत्र क्रमांक-347 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2018 / 2144, रायपुर, दि. 19.02.2019.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा धमतरी जिले के विकासखंड-नगरी की सोंदूर जलाशय परियोजना के सिहावा वितरक शाखा के आर.डी. 8600 मी. तथा 16500 मी. में पक्की संरचनाओं का निर्माण तथा 0 कि.मी. से 23.35 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त लाईनिंग का जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रु. 553.44 लाख (रुपये पांच करोड़ तिरपन लाख चौवालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई (6043.60 हेक्टेयर) में 983.65 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखाशीर्ष-4700 वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [03] सोंदूर परियोजना समूह {800}-अन्य व्यय, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना (2898)-बांध तथा संलग्न कार्य, #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 1072 / सी.एन. 31-02258 / बजट-2 / वित्त / चार / 2019, दिनांक 06.12.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**


(याकुब खैरुल्लाह)

संयुक्त सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. **5682** / एफ-2-24/31/एस-2/2018,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 12 / 12 / 2019

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 8 कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
 - 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 - 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 - 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 - 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
 - 13 अधीक्षण अभियंता, म.ज.प. बांध मंडल रूद्री, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
 - 14 कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. बांध संभाग क्र.-2 रूद्री, जिला-धमतरी (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग